जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री सेंथिल पांडियन सी0	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2– श्री अजीत कुमार तिवारी	निदेशक
3– श्री बिभु प्रसाद महापात्र	निदेशक
4– श्री सुबीर चक्रवर्ती	निदेशक
5– श्री संजय तिवारी	निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी	कम्पनी सचिव, अतिरिक्त चार्ज

श्री सेंथिल पांडियन सी0 की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या - 30.1

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में निदेशकों की नियुक्ति एवं प्रपत्र एम0बी0पी0–1, डी0आई0आर0–8 एवं डी0आई0आर0–2 रिकार्ड पर लिए जाने के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव (अतिरिक्त चार्ज) द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में श्री अजीत कुमार तिवारी, निदेशक एवं श्री बिभु प्रसाद महापात्र, निदेशक की तैनाती क्रमशः निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त) के पद पर की गई है, जिसके क्रम में श्री अजीत कुमार तिवारी एवं श्री बिभु प्रसाद महापात्र ने क्रमशः दिनांक 26.07.2019 एवं 19.09.2019 के पूर्वान्ह में निदेशक (तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसी क्रम में जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, जो उत्पादन निगम लि0 की सहायक कम्पनी है, के आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन के आर्टिकल 109 (डी) के अन्तर्गत निहित प्राविधानानुसार श्री अजीत कुमार तिवारी एवं श्री बिभु प्रसाद महापात्र दिनांक 23.08.2019 (डिन प्राप्त करने की तिथि) एवं 19.09.2019 से जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक माने जायेंगे ।

पुनः श्री बी0एस0 तिवारी, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री अजीत कुमार तिवारी, निदेशक (तकनीकी) एवं श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त) के नाम निगम का एक अंश श्री बिभु प्रसाद महापात्र, निदेशक (वित्त) के नाम हस्तांतरित होना प्रस्तावित है ।

निदेशक मण्डल द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किये गए :–

1. "निदेशक मण्डल ने श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त) एवं श्री बी0एस0 तिवारी, निदेशक (तकनीकी) के कार्यकाल समाप्त होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल में

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

दिए गए योगदान की सराहना की। साथ ही निदेशक मण्डल द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

2. पुनः निदेशक मण्डल ने निदेशक (तकनीकी) के पद पर श्री अजीत कुमार तिवारी द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का कार्यभार दिनांक 26.07.2019 को ग्रहण करने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उनका जवाहरपुर के निदेशक मण्डल में दिनांक 23.08.2019 (डिन प्राप्त करने की तिथि) से निदेशक (तकनीकी) के रूप में स्वागत किया।

3. पुनः निदेशक मण्डल ने निदेशक (वित्त) के पद पर श्री बिभु प्रसाद महापात्र द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का कार्यभार दिनांक 19.09.2019 को ग्रहण करने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उनका जवाहरपुर के निदेशक मण्डल में दिनांक 19.09.2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में स्वागत किया।

4. निदेशक मण्डल ने श्री बी0एस0 तिवारी, निदेशक के नाम निगम का एक अंश श्री अजीत कुमार तिवारी, निदेशक (तकनीकी) एवं श्री सुधांशु द्विवेदी, निदेशक (वित्त) के नाम निगम का एक अंश श्री बिभु प्रसाद महापात्र, निदेशक (वित्त) के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

5. निदेशक मण्डल ने श्री अजीत कुमार तिवारी, निदेशक (तकनीकी) (डिन – 08544397) एवं श्री बिभु प्रसाद महापात्र, निदेशक (वित्त) द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र सं0 एम0बी0पी0–1, डी0आई0आर0–2 एवं डी0आई0आर0–8 को रिकार्ड पर लिया।"

<u>मद संख्या - 30.1A</u>

निगम के निदेशक मण्डल की 29वीं बैठक जो दिनाँक 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव (अतिरिक्त चार्ज) द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 24.06.2019 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा 24.06.2019 को हस्ताक्षर किये गए, का पुष्टिकरण किया जाना अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :–

"निदेशक मण्डल ने 29वीं बैठक जो दिनांक 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"

<u>मद संख्या - 30.2</u>

निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

कम्पनी सचिव (अतिरिक्त चार्ज) ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि परिचालन माध्यम से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित कराये गये थे :-

1. **2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के रेल नेटर्वक संबंधी कार्य हेतु मे0 राइट्स के माध्यम से वर्तमान में आमंत्रित/आमंत्रित की जा रही निविदाओं में Price Variation Clause का प्राविधान किये जाने का निदेशक मंडल से अनुमोदन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 25.06.2019 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।**

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय

"निदेशक मण्डल द्वारा उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.06.2019 को लिये गये निर्णय की समरूपता में मे0 राइट्स के माध्यम से वर्तमान में आमंत्रित/भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में Price Variation Clause का प्राविधान मे0 राइट्स के GCC & Guidelines के अनुसार मेसर्स राइट्स के GCC के Clause 10CC (With updated Correction Slip) में वर्तमान अंकित Formulae जो कि मेसर्स राइट्स के द्वारा भविष्य में किसी संशोधन निर्गत किए जाने पर तदानुसार संशोधित समझा जाएगा, के साथ निविदा प्रपत्र के अनुसार कार्य समापन की अवधि के सापेक्ष Price Variation Clause (PVC) के लागू होने व PVC के तहत Price Adjustment हेतु अनुबंध लागत की अधिकतम सीमा की Capping का प्राविधान अधोवर्णित Guidelines के अनुसार किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है –

क्रम सं0	निविदा प्रपत्र के अनुसार कार्य समापन की अवधि	Price Variation Clause(PVC)	
		PVC का प्राविधान	अधिकतम सीमा की Capping
1.	लघु कार्यावधि –12 माह तक	PVC लागू नहीं होगा	लागू नहीं
2.	कार्यावधि –12 माह से अधिक व 18 माह तक	PVC लागू होगा	08.00 प्रतिशत
3.	कार्यावधि –18 माह से अधिक व 24 माह तक	PVC लागू होगा	10.00 प्रतिशत
4.	कार्यावधि –24 माह से अधिक व 30 माह तक	PVC लागू होगा	12.00 प्रतिशत
5.	कार्यावधि –30 माह से अधिक व 36 माह तक	PVC लागू होगा	15.00 प्रतिशत
6.	कार्यावधि –36 माह से अधिक	PVC लागू होगा	20.00 प्रतिशत

2. **जवाहरपुर 2X660 मेगावाट परियोजना की वर्तमान प्रगति एवं ई0पी0सी0 कार्यदायी संस्था मै0 दूसान के अनुरोध पर बैक गारन्टी के सापेक्ष मैटेरियल सप्लाई के 10 प्रतिशत रिटेन्शन मनी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.06.2019 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।**

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय

"निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1. 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के अनुबन्ध स0 01 एवं 02 (ऑफसोर तथा ऑनसोर सप्लाई) के अन्तर्गत, मै0 दूसान द्वारा अभी तक की गई आपूर्ति साम्रगी के विरूद्ध, अनुबन्ध की भुगतान शर्तों के कम में, 20 प्रतिशत की कटौती में से, इकाई संख्या 1 एवं इकाई संख्या 2 के सिंक्रोनाईजेशन से लिंक 10 प्रतिशत retention money को निम्न शर्तों के प्रतिबन्धाधीन मै0 दूसान को निर्गत कर दिया जाए:–

   (क) निर्गत किये जाने वाले रिटेन्शन मनी के सापेक्ष धनराशि के 110 प्रतिशत मूल्य की बैंक गारन्टी मै0 दूसान द्वारा पहले जमा की जायेगी, जिसकी वैधता *anticipated date of completion of facilities* से 90 दिन अधिक तक होगी ।

   (ख) रिलीज होने वाली धनराशि Interest Bearing होगी, मै0 दूसान को ब्याज का भुगतान इकाई संख्या 1 एवं इकाई संख्या 2 के वास्तविक Synchronization तिथि तक करना होगा। देय ब्याज दरें मे0 पी0एफ0सी0/आर0ई0सी0 द्वारा उ0नि0लि0 पर आरोपित वास्तविक ब्याज दरें के सामान होगी।

   मै0 दूसान द्वारा व्याज दरों की देयता तिमाही के आधार पर होगी। मै0 दूसान द्वारा भुगतान न किये जानें की दशा मे उ0नि0लि0 द्वारा मै0 दूसान के बीजकों से Retention Money पर देयतानुसार ब्याज की कटौती की जाएगी।

   (ग) भविष्य में मै0 दूसान को बैंक गारन्टी की वैधता उ0नि0लि0 के अनुरोध किये जाने पर बढ़ानी होगी।

2. मै0 दूसान द्वारा यह आश्वस्त किया जायेगा कि निर्गत retention money का उपयोग केवल परियोजना के सब–वेन्डरों के भुगतान हेतु ही किया जाऐगा। इसकी पुष्टि हेतु मै0 दूसान द्वारा जब सब–वेंडर को भुगतान किया जाता है, तब दूसान को Bank Statement की प्रति उ0नि0लि0 को प्रेषित करनी होगी।

3. मै0 दूसान द्वारा साइट पर कार्य सम्पादन हेतु माइलस्टोन की commitment date दी जाऐगी। इन माइलस्टोन commitment date में slippage होने पर उ0नि0लि0 द्वारा रिटेन्शन मनी के विरूद्ध जंमा बैंक गारन्टी को forfeit कर लिया जायेगा तथा forfeited money (retention money) का भुगतान अनुबन्ध की निर्धारित मूल शर्तों के अनुसार किया जायेगा।"

3. 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला–एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी0 0/000 से 8/700 तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज–1 को निविदा के प्रथम न्यूनतम निविदाकार मैसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड सतना, मध्य प्रदेश से कराये जाने हेतु निदेशक मंडल से अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.06.2019 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

"निदेशक मण्डल द्वारा 2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला–एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी0 0/000 से 8/700 तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज–1 के कार्य हेतु कारपोरेट निविदा समिति–द्वितीय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में ई–निविदा के न्यूनतम निविदाकार मैसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड सतना, मध्य प्रदेश के पक्ष में रू0 69,72,03,707.48 (रू0 उन्हत्तर करोड़ बहत्तर लाख तीन हजार सात सौ सात एवं पैसे अड़तालिस मात्र) (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) पर निविदा प्रपत्र में अंकित विशिष्टियों व शर्तों पर कार्यादेश निर्गत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

4. "जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना हेतु संगठनात्मक ढाँचा व जनशक्ति निर्धारण" के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 09.09.2019 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।

"निदेशक मण्डल द्वारा

(अ) जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुलग्नक–1 के अनुसार संगठनात्मक ढाँचे का निर्धारण एवं अनुलग्नक–2 के अनुसार कुल 475 आवश्यक पदों का निर्धारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(ब) साथ ही जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक 475 पदों की गणना उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कुल प्रस्तावित/स्वीकृत पदों में की जायेगी। इन पदों पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के ही कार्मिक कार्य करेंगे एवं इन पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। इन पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति करने का अधिकार पूर्ण रूप से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को होगा, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत कोई भी सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति आदि नहीं की जायेगी। इस प्रकार इन 475 पदों पर आवश्यकतानुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा नियुक्ति/तैनाती की जायेगी। यद्यपि ऐसे कार्मिक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में तैनात रहेंगे परन्तु इनकी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती नहीं मानी जायेगी।"

मद संख्या - 30.3

निगम की अंश आबंटन समिति की बैठक जो दिनांक 21.08.2019 एवं 18.09.2019 को सम्पन्न हुई, के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कम्पनी सचिव (अतिरिक्त चार्ज) द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अंश आंबटन समिति की बैठक जो क्रमशः दिनाँक 21.08.2019 एवं 18.09.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त संलग्न है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :–

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

"निदेशक मण्डल द्वारा अंश आंबटन समिति की बैठक जो क्रमशः दिनाँक 21.08.2019 एवं 18.09.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।"

मद संख्या - 30.4

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों का निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

निदेशक (वित्त) द्वारा अवगत कराया गया कि संवैधानिक सम्प्रेक्षक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्प्रेक्षित निगम के वित्तीय वर्ष 2017–18 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखों में दर्शित अवशेष को समावेशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखे तैयार कर कर लिये गये है, जिस पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन वांछित है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"संकल्प लिया गया कि – निगम के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखों (यथा संशोधित लेखा नीति तथा लेखों पर टिप्पणियों सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुये इन वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षरित करने हेतु कम्पनी सचिव, अधिशासी निदेशक (वित्त), तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया।"

मद संख्या - 30.5

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 का वित्तीय वर्ष 2017–18 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखा, उस पर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन एवं उस पर प्रबन्धन का उत्तर निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने के संस्तुति हेतु प्रस्ताव।

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखें, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (टीका टिप्पणी पत्र) एवं उस पर प्रबन्धन का उत्तर अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदित कर अंगीकृत किये जाने के उद्देश्य से अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

*"**संकल्प लिया गया कि** वित्तीय वर्ष 2017–18 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखे, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (टीका टिप्पणी पत्र) एवं उस पर प्रबन्धन के उत्तर का अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इन्हें अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत कराने के लिये प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की जाती है।"*

मद संख्या - 30.6

निगम के वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन एवं उस पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रतिनिधियन के सम्बन्ध में।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"संकल्प लिया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए उस पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या - 30.6A

जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति से निदेशक मण्डल को संज्ञानित करने हेतु प्रस्ताव।

निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) द्वारा प्रस्तुत जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति को संज्ञान में लिया गया। साथ ही निर्देशित किया कि विलम्ब के कारणों का निवारण करते हुए परियोजना को ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 30.7

Proposal for Appointment of Secretarial Auditor for Secretarial Audit & Certification of Annual Return for the Financial Year 2018-19 and 2019-20.

Company Secretary (Additional Charge) informed the Board that the Board of Directors of U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in their 181st Meeting held on 31st May, 2019 has decided that an open offer shall be invite for appointment of Company Secretary in Practice for Secretarial Audit and Certification of the Annual Return of the Company for Financial Year 2018-19 and 2019-20. Accordingly with the approval of Competent Authority, the Advertisement was published in the Newspaper and was also placed on the Company's website for inviting the expression of Interest from the Practicing Company Secretaries. Further, an Evaluation Committee was constituted for evaluation of the offers received from Practicing Company Secretaries consisting of the following Members :-

1. Shri Sanjay Tewary, Director (Personnal & Administration) - Chairman
2. Shri Rajeev Sirohi, Deputy Chief Account Officer - Member
3. Shri Pradeep Soni, Company Secretary - Member

Accordingly, the Evaluation Committee decided to assign the work of Secretarial Audit and Certification of Annual Return to M/s Dileep Dixit & Co. (Highest Score) on the fees of Rs. 50,000.00 (plus taxes). As Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited is a subsidiary of U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, the approval of the Board of Directors is therefore required for Appointment of M/s Dileep Dixit & Co. for Secretarial Audit and Certification of the Annual Return of the Company.

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

The Board of Directors after due deliberation has passed the following resolution :-

*"**RESOLVED THAT** pursuant to the provision of Section 204 of the Companies Act 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014 & and pursuant to the provision of Section 92 of the Companies Act 2013 and other applicable provisions if any, of the Companies Act 2013, consent of the Board be and is hereby accorded for appointrnent of M/s Dileep Dixit & Co., Practicing Company Secretaries for conducting the Secretarial Audit and Certification of Annual Return of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited for the Financial Year 2018-19 & 2019-20 on the Secretarial Audit Fees (including certification of Annual Return) of Rs. 50,000/-.*

***FURTHER RESOLVED THAT** Company Secretary of the Company, be and is hereby authorized to provide the necessary assistance for conducting the aforesaid audit, signing of the documents on behalf of the Company and to do all acts deeds and things that are necessary or expedient to implement this Resolution."*

<u>मद संख्या - 30.8</u>

Constitution of Nomination & Remuneration Committee.

Company Secretary (Additional Charge) informed the Board that as per section 178(1) of the Companies Act, 2013, it is required to constitute the Nomination & Remuneration Committee. Company Secretary then briefed the applicable provisions of the Companies Act, 2013.

The Board of Directors after due deliberation has passed the following Resolution for constitution of Nomination & remuneration Committee :-

*"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and NOTIFICATION No. G.S.R. 163(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, the Nomination and Remuneration Committee of the Company be constituted as follows:*

COMPOSITION

The Nomination and Remuneration Committee shall consist of following members namely:

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

1. Director (Finance), UPRVUNL.
2. Director (P&A), UPRVUNL.
3. Chairman & Managing Director

CHAIRMAN

The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee shall be elected by its members from amongst themselves.

QUORUM

The Quorum for the meeting of the Nomination and Remuneration Committee shall be a minimum of two members or 1/3rd of the Members of the Nomination and Remuneration Committee, whichever is higher, but there should be minimum of two members present.

MEETINGS

The Committee shall meet as and when it is thought appropriate.

ROLE:

Read with the Notification No. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, the Nomination and Remuneration Committee shall consider the matters with respect to appointment of Senior Management and employees of the Company."

मद संख्या - 30.9

Appointment of Chief Financial Officer.

The Board of Directors has passed the following resolution for appointment of Chief Financial Officer :

"**RESOLVED THAT** pursuant to section 2(19) & section 203 read with rules made thereunder and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force Shri M. C. Pal be and is hereby appointed as Chief Financial Officer of Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited in place of Shri K. C. Pandey with effect from 20.09.2019.

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

"**FURTHER RESOLVED THAT** one of the Directors and/or Company Secretary of the Company, be and is hereby authorized to file necessary E-forms and documents with Registrar of the Company and to do all other such acts, Deeds and things which are necessary from time to time."

मद संख्या - 30.10

Appointment of Company Secretary.

The Board of Directors has passed the following resolution for appointment of Company Secretary :

"**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of section 203 of Companies act 2013 and Rule 8 and Rule 8A of Companies appointment & remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, Ms. Niharika Gupta, Company Secretary (ACS 59325) be and is hereby appointed as the whole time Company Secretary of the company with effect from 20.09.2019 on a monthly consolidated remuneration of Rs. 25,000/- per month through outsourcing till 31.03.2020.

"**FURTHER RESOLVED THAT** one of the Directors and/or Company Secretary of the Company, be and is hereby authorized to file necessary E-forms. and documents with Registrar of the Company and to do all other such acts, Deeds and things which are necessary from time to time."

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक प्रातः 11:00 बजे प्रारम्भ होकर मध्यान्ह 12:00 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 20-09-2019

(सेंथिल पांडियन सी०)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner